

20.1.2020

पत्रावली पेश। चूंकि मूल दावा जरिये  
अदम हाजिरी - अदम पैरवी खारिज किया जा  
-युक्त है। अतः प्रथमा - पत्र चलाये जाने का  
कोई औचित्य नहीं है, इसलिए प्रथमा - पत्र को  
इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।  
पत्रावली फैसल नुमां होकर नम्बर से कम  
की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

20/1/2020

सहायक कलेक्टर एवं कार्यालयिक मजिस्ट्रेट  
(फास्ट ट्रैक) जिला जालोर

